रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 756] | नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2015/अग्रहायण 16, 1937 |
| No. 756] | NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2015/AGRAHAYANA 16, 1937 |


## कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
## (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
## आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 936(अ).–किसानों को आकर्षक, उचित तथा वहनीय कीमत पर कपास बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विक्रय कीमत के नियतन के लिए एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करने के लिए एक आदेश;

बीज अधिनियम 1966 (1966 का 54) विक्रय के लिए निश्चित बीजों की क्वालिटी तथा इसके संबंधित मामले के विनियमन के लिए प्रदान किया जाता है;

जबकि बीज (नियंत्रण) आदेश,1983 बीजों में व्यापार क्रियाकलाप को विनियमित करता है;

किसानों की मांग बीटी कपास बीजों जैसे अनुवांशिक रुप से संशोधित बीजों जो उच्च मूल्य प्रदान करने वाले है, के मूल्य को विनियमित करने की है;

लक्ष्य मूल्य घटक सहित बीटी कपास बीज मूल्यों को विनियमित करने के लिए निश्चित राज्य सरकारों ने राज्य विधान को लागू किया;

बहु प्राधिकारियों द्वारा विक्रय कीमत के निर्धारण से विभिन्न राज्यों में विभिन्न कीमतों का नियतन होगा और देश भर में बीटी कपास के एकरुप कीमतों का नियतन अनिवार्य बनाना;

और पूर्वगामी परिस्थितियों की दृष्टि से यह आवश्यक समझा जाता है, और क्योंकि विधमान और भविष्य की अनुवांशिक उपांतरण (जीएम) प्रौद्योगिकियों के अधीन कपास बीजों के विक्रय कीमत के भारत भर में एकरुप नियमन के लिए पूर्ववर्ती परिस्थितियों में यह आवश्यक समझा जाए, निम्नलिखित कपास बीज मूल्य (नियंत्रण) आदेश जारी करने के लिए;

स.का.नि. सं. .......... (अ).- केंद्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात:

**प्रारम्भिक**

**1. संक्षिप्त नाम और विस्तार** – (1) यह आदेश का संक्षिप्त नाम कपास बीज कीमत (नियंत्रण) आदेश, 2015 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में है ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

(4) यह आदेश बीज अधिनियम 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के उपाबंधों में सहयोजन में है ।

**2. परिभाषाएं**: इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम'' से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अभिप्रेत है;

(ख) ''बीटी'' से बैक्टेरियल बेसिलस थूरिंगजिनसिस अभिप्रेत है;

(ग) ''बीटी कपास'' से बालवार्म से प्रतिरोध प्रदान करने के लिए बीटी से जीन के साथ एकीकृत अनुवांशिक रुप से संशोधन कपास फसल अभिप्रेत है ।

(घ) 'नियंत्रक' से अभिप्रेत है जो बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा बीजों के नियंत्रक के रुप में नियुक्त व्यक्ति से है ।

(ड.) 'कपास बीजों' से अभिप्राय किसी भी किस्म के कपास बीज और बुवाई के लिए उपयोग किए जा रहे बीटी कपास जैसी ट्रांसजेनिक और अनुवांशिक संशोधित कपास बीज किस्में सम्मलित है ।

(च) व्योहारी से अभिप्रेत है जो विक्रय का कारबार करने वाला व्यक्ति, कपास बीज का आयातक अथवा निर्यातक, और इसमें डीलर का अभिकर्ता शामिल है और इसमें वितरक एवं उसके अभिकर्ता तथा स्टाकिस्ट भी शामिल होंगे ।

(छ) अनुवांशिक अभियांत्रिकी अथवा अनुवांशिकी उपांतरण प्रौद्योगिकी (जीएम प्रौद्योगिकी) से प्रौद्योगिकी अभिप्रेत से है जो जिसने बीटी जैसे अज्ञात किस्मों से जीनों के सजीव आर्गेनिज्म का समावेशन अंतर्वलित है जिससे प्राप्त होने वाला आर्गेनिज्म एक विशिष्ट लक्षण और विशेषता दर्शाएगा जो प्राकृतिक रुप से प्राप्त नहीं किया जा सकता (कपास प्रबंधन की सुविधा के लिए बालवर्म जैसे कीटों का प्रतिरोध अथवा खरपतवार से कपास पौध प्रतिरोध) । फसल में शामिल किए गए ऐसे जीन को ट्रांसजेनिक के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है तथा ऐसे ट्रांसजेनिक वाले फसलों को जीएम फसलों के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है ;

ज) "जीएम ट्रेट अथवा आनुवांशिकीय रूप से संशोधित ट्रेट" से अभिप्रेत है जो आर्गेनिज्म की विशेषता अथवा गुण (कृषि संबंधी गुण) है, जो ट्रांसजेनिक अथवा अनुवांशिक संशोधन की अभिव्यक्ति के परिणामस्वरूप है। कपास में बालवार्म प्रतिरोधी अथवा खरपतवार प्रतिरोधी जीएम की विशेषता है, जो ट्रांसजीन अथवा ट्रांसजीनों की अभिव्यक्ति के परिणामस्वरूप है।

झ) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

ञ) "अनुज्ञप्ति करार" से अभिप्रेत है जो अनुज्ञप्ति प्रदाता तथा अनुज्ञापकधारी के बीच हुए करार से है, जिसके अधीन अनुज्ञापकधारी जीएम प्रौद्योगिकी प्रदान करना है।

ट) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत उस उत्पादक कंपनी से है जो अनुज्ञप्ति प्रदाता अथवा उप अनुज्ञापक द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति के तहत कार्य के साथ जीएम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इस कपास की संकर जाति की बिमित किस्मों में इस आशय के अंतरित करती है कि वे अपने कपास के बीजों का उत्पादन और विपणन उप अनुज्ञापन कार्य समाप्त करें।

ठ) "अनुज्ञप्ति फीस" से अभिप्रेत है एकमुश्त भुगतान तथा अन्य क्षतिपूर्ति है जिसका भुगतान कपास के बीजों की ट्रांसजेनिक किस्म के विक्रय पर अनुज्ञापक को करना है तथा इसमें स्वामिस्व, ट्रेट मूल्य आदि जैसे अन्य

वैकल्पिक मानकों को शामिल किया जाएगा जिसे ऐसे भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्ति के करार में उपयोग किया जाता है

ड) ''अनुज्ञापक" का उस कम्पनी से अभिप्रेत है जो पेटेंट अथवा व्यक्ति का विकास करता है अथवा उसे प्राप्त करता है जो पेटेंट से अनुज्ञप्ति पत्र प्राप्त करना है और अनुज्ञप्तिपत्र कारार के तहत अनुज्ञप्तिधारी को जीएम प्रौद्योगिकी प्रदान करता है तथा इसमें उप अनुज्ञापक को शामिल किया जाएगा।

ढ़) "स्थानीय कर" से अभिप्रेत है जो अनुज्ञापक अथवा अनुज्ञप्तिधारी अथवा उनके अभिकर्ता अथवा व्यौहारी द्वारा प्रभावी समय में किसी भी नियम के तहत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य कर अथवा फीस (विक्रय कीमत में शामिल उत्पाद अथवा आयात फीस को छोड़कर) है।

ण) "अधिकतम विक्रय कीमत" से अभिप्रेत है जो अधिकतम कीमत है जिसमें बीज कीमत, अनुज्ञप्ति पत्र फीस, व्यापार लाभ तथा स्थानीय फीस अथवा कर है, जिस पर कपास बीजों की ट्रांसजेनिक किस्म अथवा कपास बीज किसानों को बेचे जाते हैं।

त) "अधिसूचना" राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से अभिप्रेत है।

(थ) ''स्वामिस्व (ट्रेट मूल्य)'' से अभिप्रेत है वह राशि है जो अनुज्ञप्ति देने वाला जीएम प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्रति भूमि अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति सहमति के अंतर्गत अनुज्ञिप्तधारी से संकलित करता है ;

(द) ''बीज निरीक्षक'' से अभिप्रेत है जो बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत निरीक्षण के रूप में या बीज (नियंत्रण) आदेश (1983 के खंड के अंतर्गत बीज निरीक्षण के रूप में जिसकी नियुक्ति हुई हो ;

(ध) **"**बीज कीमत'' से अभिप्रेत है जो बिना अनुज्ञप्ति फीस (स्वामिस्व अथवा ट्रेट कीमत) के कपास बीज का बिक्री मूल्य किंतु उसमें प्रसंस्करण, पैकेजिंग, वितरण आदि सहित उत्पादन का लागत, अनुसंधान और विकास लागत, प्रशासनिक और अधिशीर्ष लागत, अप्रचलित सहित व्यापार जोखिमों से संबंधित लागत, निवेश और प्रयासों पर बिक्री के बाद सेवा और उचित लाभ शामिल हैं ;

(न) ''ट्रांसजैनिक किस्म'' से अभिप्रेत है जो जीएम प्रौद्योगिकी द्वारा जेनेटिक समिश्रण का आशोधन और परिवर्तन के द्वारा सिंथेसाइज्ड अथवा विकसित बीज अथवा रोपण सामग्री से है।

(प) ''किस्म'' से अभिप्रेत है जो न्यूनतम जानकारी रैंक के एकल बोटेनिकल टेक्सोन के अंतर्गत सूक्ष्म आर्गेनिज्म छोड़कर पौध समूह जो निम्न हो सकते हैं :-

i) पौध समूहों को दी गई जेनोटाईप के परिणामस्वरूप विशेषताओं द्वारा निर्धारित किया हुआ;

ii) उपर्युक्त विशिष्टताओं में से कम से कम एक का अभिव्यक्ति द्वारा किसी अन्य पौध समूह से उत्कृष्टता; और

iii) की जा रही प्रजनक के लिए इसकी उपयुक्तता के लिए के संदर्भ सहित इकाई के रूप में विचार-विमर्श जिसमें ऐसे प्रजनक के बाद भी परिवर्तन नहीं होता और किस्म विस्तृत किस्म, ट्रांसजैनिक किस्में, किसानों द्वारा बनाए गए किस्म और आवश्यक उत्पादक किस्मों की प्रजनक सामग्री शामिल हैं।

**2)** इस आदेश में प्रयुक्त शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों किंतु वह अपरिभाषित है, का वही अर्थ होगा जो संबंधित अधिनियम, बीज अधिनियम,1966 बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 और पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 में समनुदेशित किया गया है।

**3. नियंत्रक के अधिकार** बीज (नियंत्रण) आदेश,1983 अधिकारों के अतिरिक्त नियंत्रक को अधिसूचनाओं द्वारा आदेश में समय-समय से सरकार द्वारा कपास बीज के बिक्री कीमत के नियमित करने का भी अधिकार होना चाहिए।

**4. नियंत्रक के कार्य :-** नियंत्रक सरकार को निम्नलिखित मामलों पर सलाह देगा अर्थात:-

क. अधिसूचित अधिकतम बिक्री कीमत पर कपास बीज की बिक्री का नियमन;

ख. अनुज्ञापन मार्गदर्शक सिद्धांत सभी जीएम प्रौद्योगिकी अनुज्ञापन करार के लिये अनुज्ञापन मार्गदर्शक सिद्धांत और फार्मेट विहित करना और

ग. सरकार द्वारा सलाह के लिये हेतु उन्हें दिए गया कोई निर्दिष्ट अन्य मामला ।

**5. अधिकतम बिक्री कीमत के लिए अधिकार:** (1) सरकार, बीज मूल्य, अनुज्ञापन फीस (जिसमें एक मुश्त आवर्ती स्वामिस्व शामिल (लक्ष्य कीमत), व्यापार मार्जिन और अन्य कर शामिल हैं), को ध्यान में रखते हुए, जब कभी आवश्यक हो, जो वह ठीक समझे, समय-समय पर, अधिकारिक राजपत्र में अगले वित्तीय वर्ष हेतु लागू प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च अथवा उस से पहले कपास बीज के अधिकतम बिक्री कीमत को राजकीय राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।

(2) अधिकतम बिक्री कीमत नियतन करने के लिए सरकार संयुक्त सचिव (बीज) और नियंत्रक, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित करे ताकि बीज कीमत, अनुज्ञापन फीस (जिसमें एक मुश्त आवर्ति स्वामिस्व (लक्षण कीमत), व्यापार मार्जिन और अन्य कर शामिल है) के घटकों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम बिक्री कीमत संस्तुत किया जा सके। समिति कपास के न्यूनतम बिक्री कीमत की आकलन के लिए इस प्रकार के व्यक्तियों अथवा संगठनों अथवा प्राधिकारियों से आवश्यकता होने पर सूचना ले सकती है।

(3) समिति के अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगी अर्थात:-

(i) कृषि उत्पादन आयुक्त अथवा दो प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों से सचिव कृषि।

(ii) सहायक महानिदेशक (नगद फसल), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।

(iii) सदस्य सचिव, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारत सरकार।

(iv) निदेशक, राष्ट्रीय कृषि आर्थिक और नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।

(v) बीज उद्योग से एक प्रतिनिधि।

(vi) किसानों का एक प्रतिनिधि ।

(vii) उप आयुक्त (बीज), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग-सदस्य सचिव ।

(4) कपास बीजों के अधिकतम विक्रय मूल्य की सिफारिश करते समय समिति इस इस आदेश के तहत, विनियमित कारकों का ध्यान रखेगी जो बीजों के उत्पादन में योगदान देते हैं अर्थात:-

(क) बीज कीमत;

(ख) व्यौहारी उपांत

(ग) प्रौद्योगिकी की स्वामिस्व या विशेषता कीमत सहित अनुज्ञप्ति फीस;

(घ) उपर्युक्त मदों में किसी पर कर यदि कोई हो।

(5) न्यूनतम विक्रय कीमत निर्धारित करते समय सरकार स्वामिस्व या विशेषता कीमत यदि कोई हो, सहित बीज कीमत तथा अनुज्ञप्ति फीस जो अधिकतम विक्रय कीमत के घटक निर्धारित करते हैं, को नियत और विनियमित भी करेगी ।

(6) उपर्युक्त उप-खंड (1) और उप-खंड (5) के अधीन इसके घटकों के नियतन के साथ-साथ अधिकतम विक्रय कीमत का निर्धारण किए जाने अनुज्ञापक और अनुज्ञप्तिधारी सहित सभी पणधारियों पर बाह्यकारी होगा। अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी करार या लिखत में प्रतिकूल हो ।

(7) इस आदेश के तहत कोई अनुज्ञापक या अनुज्ञप्तिधारी सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय कीमत से अधिक बीजों का वितरण और विक्रय नहीं करेगा ।

(8) सभी अनुज्ञप्ति करार अधिसूचना द्वारा यथा निर्धारित फार्मेट के अनुसार होंगे ।

**6. पुनर्विलोकन की शक्ति:** राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख या उसके द्वारा आदेश प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर अधिसूचना की पुनर्विलोकन के लिए जारी किसी अधिसूचना या आदेश के तहत दिए गए आदेश यथास्थिति द्वारा असंतुष्ट कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार या किसी ऐसे प्राधिकारी जिसे सरकार अपनी और से विनिर्दिष्ट करे को आवेदन करे और ऐसा प्राधिकारी ऐसे आवेदनों पर आदेश कर सकता है, जैसा ठीक समझे, जो अंतिम होगा |

परंतु आवेदन पर निर्णय लंबित होने की स्थिति में कोई अनुज्ञापक, अनुज्ञप्तिधारी या व्यौहारी अधिकतम विक्रय कीमत से अधिक कीमत पर कपास के बीजों की बिक्री नहीं करेगा या सरकार द्वारा अधिसूचित अनुज्ञप्ति फीस से अधिक अनुज्ञप्ति फीस नहीं लेगा।

परंतु यह और कि अपील हेतु आवेदन पत्र के साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 100/रू. का फीस भेजेगा।

**7. शास्ति:-** यदि कोई व्यक्ति जो इस आदेश के किसी उपाबंध का उल्लंघन करता है या इसके तहत किए गए किसी निदेशन या अध्यपेक्षा को पूरा नहीं करता है तो उसे अधिनियम की धारा 7 के अधीन दंडनीय किया जाएगा ।

[सं. 6-2/2015/एसडी-वी]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**

**(Department Of Agrciulture, Coopreation And Farmers Welfare)**

# ORDER

New Delhi, the 7th December, 2015

**G. S. R. 936(E).—** An Order to provide for an effective system for fixation of sale price for cotton seeds to ensure their availability to the farmers at fair, reasonable and affordable prices;

Whereas, the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) provides for regulating the quality of certain seeds for sale, and for matter connected therewith;

Whereas, the Seeds (Control) Order, 1983 regulates the trading activity in seeds;

Whereas, there is demand from the farmers to regulate prices of Genetically Modified Cotton Seeds such as seeds of Bt cotton which are found to be highly priced;

Whereas, certain State Governments enacted State legislations, in order to regulate the Bt cotton seed prices including trait value component;

Whereas, fixation of sale price by multiple authorities resulted in fixation of different prices in different States and necessitated fixing of uniform prices for Bt cotton seeds across the country;

And, whereas, it is felt necessary, in view of the foregoing circumstances, to issue the following Cotton Seeds Price (Control) Order for uniform regulation across India of the sale price of cotton seeds with the existing and future Genetic Modification (GM) technologies;

GSR No……………(E).- in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely:-

***Preliminary***

**1.** **Short title and extents.-** (1) This Order may be called the Cotton Seeds Price (Control) Order, 2015.

(2) It extends to the whole of India.
(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
(4) This order is in conjunction with the provisions of the Seeds Act, 1966 and the Seeds (Control) Order, 1983.

2. **Definitions.-** (1) In this Order, unless the context otherwise requires -

(a) "Act" means the Essential Commodities Act, 1955;

(b) "Bt" means the bacterium "*Bacillus thuringiensis*";

(c) "Bt Cotton" means Genetically modified Cotton crop integrated with genes from Bt for providing resistance to bollworms;

(d) "Controller" means a person appointed as Controller of Seeds by the Central Government under the Seeds (Control) Order, 1983;

(e) "Cotton Seeds" means cotton seeds of any variety and includes transgenic and genetically modified cotton seed varieties such as Bt Cotton used for sowing;

(f) "Dealer" means a person carrying on the business of selling, exporting or importing Cotton Seeds, and includes an agent of a dealer and shall also include and mean a Distributor and his agent and his stockist;

(g) "Genetic Engineering or Genetic Modification Technology (GM Technology)", means the technology which involves insertion of genes from alien species such as Bt into the genome of a living organism thereby making the resultant organism express a particular trait or character, which does not hitherto occur naturally (resistance to pests such as bollworms or cotton plants resistant to weedicides for ease of crop management). Such genes inserted into a crop are referred to as transgenes and crops containing such transgene are referred to as GM crops;

(h) "GM Trait or Genetically Modified Trait" means an attribute (agronomic trait) or a character of an organism resulting from expression of transgene or genetic modification. Bollworm resistance or Herbicide resistance in Cotton are GM traits which are result of expression of the transgene or transgenes;

(i) "Government" means the Central Government;

(j) "License Agreement" means the agreement between the Licensor and the Licensee under which GM Technology is provided to the Licensee;

(k) "Licensee" means the seed producing company, under a license from the Licensor or sub-licensor, using the GM Technology by transferring it into its cotton varieties or hybrids to produce and market their cotton seeds. The term Licensee shall also include and mean Sublicensee;

(l) "License Fee" means a onetime payment and other remunerations to be paid to the Licensor on sale of transgenic variety of cotton seeds and shall include any other alternative terms like royalty, Trait Value etc used in the License Agreement for such payments or remuneration;

(m) "Licensor" means the company that develops or obtains patent or a person, who obtained License from the Patentee and provides the GM Technology to the Licensee under a License Agreement and shall also include and mean a sub-licensor;

(n) "Local Taxes" means any tax or levy (except excise or import duty included in sale price) paid or payable to the Government or the State Government or any local body under any law for the time being in force by the Licensor or Licensee or their agent or Dealer;

(o) "Maximum Sale Price" means the maximum price inclusive of Seed Value, License Fee, Trade margin and local taxes or duties, at which the Cotton Seeds or transgenic varieties of Cotton Seeds are sold to the farmers;

(p) "Notification" means a notification published in the Official Gazette;

(q) "Royalty (Trait Value)" means the amount, which the Licensor collects from the Licensee under the License Agreement for granting license to GM Technology;

(r) "Seed Inspector" means a Seed Inspector appointed under the Seeds Act, 1966 or an Inspector of Seeds appointed under clause 12 of the Seeds (Control) Order, 1983;

(s) "Seed Value" means the sale value of Cotton seeds without license fee (royalty or trait value) but includes cost of production including processing, packing, distribution etc, research and

development costs, administrative and overhead costs, cost related to business risks including obsolescence, after sales service and reasonable returns on investments and efforts;

(t) "Transgenic variety" means seed or planting material synthesized or developed by modifying or altering the genetic composition by means of GM Technology;

(u) "Variety" means a plant grouping except micro organism within a single botanical taxon of the lowest known rank, which can be,-

(i) defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype of that plant grouping;

(ii) distinguished from any other plant grouping by expression of atleast one of the said characteristics; and

(iii) considered as a unit with regard to its suitability for being propagated, which remains unchanged after such propagation and includes propagating material of such variety, extant variety, transgenic variety, farmers' variety and essentially derived variety.

(2) The words and expressions used in this Order but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act, the Seeds Act, 1966, the Seeds (Control) Order, 1983, and the Environment (Protection) Act, 1986.

**3. Powers of Controller.-** In addition to the power conferred to Controller under the Seed (Control) Order 1983, the Controller shall also have the power to regulate the sale price of cotton seed as may be notified by the Government from time to time in the order by notifications;

**4. Functions of Controller.-** The Controller shall advise the Government on the following matter, namely:-

(a) regulation of sale of Cotton Seeds at notified Maximum Sale Price;

(b) prescribe licensing guidelines and format for all the GM Technology Licensing Agreements; and

(c) any other matter referred to him for advice by the Government.

**5. Power to fix Maximum Sale Price.**- (1) The Government, may, after taking into consideration the Seed Value, License Fee which includes one time and recurring Royalty (Trait Value), trade margins and other taxes, whenever necessary, as it may deem fit, from time to time, notify in the Official Gazette, the Maximum Sale Price of cotton seeds on or before 31st March of every year applicable for the next financial year.

(2) For the purpose of fixing Maximum Sale Price, the Government may constitute a Committee under the Chairmanship of Joint Secretary (Seed) and Controller, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare to recommend Maximum Sale Price of Cotton Seed after taking into consideration the components of Seed Value, License Fee which includes one time and recurring Royalty (Trait Value), trade margins and other taxes. The Committee may take inputs from such persons or associations or authority, as may be necessary for working out the Maximum Sale Price of the Cotton Seed.

(3) The other members of the Committee shall consists of the following, namely:-

(i) Agriculture Production Commissioner or Secretary Agriculture from two major cotton growing states.

(ii) Assistant Director General (Cash Crops), Indian Council of Agricultural Research.

(iii) Member Secretary, Commission for Agricultural Costs and prices, Government of India.

(iv) Director, National Institute of Agricultural Economics and Policy Research (ICAR), New Delhi.

(v) One representative of Seed Industry.

(vi) One farmer's representative.

(vii) Deputy Commissioner (Seed), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member Secretary.

(4) The Committee while recommending the Maximum Sale Price of Cotton Seeds, under this Order, shall have regard to the following factors which contribute to production of the Seeds, namely:-

(a) Seed Value;

(b) Dealer margins;

(c) License fees including royalty or trait value for the technology; and

(d) Taxes, if any on any of the items above.

(5) The Government, while fixing the Maximum Sale Price, shall also fix and regulate the Seed Value and License Fee including royalty or trait value, if any, that constitute components of the Maximum Sale Price.

(6) Maximum Sale Price fixation along with fixation of its components under sub-clauses (1) and (5) above shall be binding on all stakeholders including the Licensor and the Licensee, notwithstanding anything contained in any contract or instrument to the contrary.

(7) No Licensor, Licensee or Dealer shall cause distribution and sale of seeds above the Maximum Sale Price fixed by the Government under this order.

(8) All License Agreements shall be as per the format, as may be prescribed by notification.

**6. Power to review.-** Any person aggrieved by any notification issued or order made under this Order, may apply to the Central Government or any such Authority as the Government may specify in this behalf, for a review of the notification or order within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette or the date of receipt of the order by him, as the case may be, and such Authority may make order on such application, as it may deem proper, which shall be final:

Provided that pending a decision on the application, no Licensor, Licensee or Dealer shall cause sale of Cotton Seeds, as the case may be, at a price exceeding the Maximum Sale Price or collect License Fee in excess of that notified by the Government.

Provided further that an application for appeal shall be accompanied with a fee of Rs.100/- by way of demand draft drawn in favour of Pay and Accounts Officer, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, New Delhi.

**7. Penalty.-** Any person who contravenes any of the provisions of this Order or fails to carry out any direction or requisition made thereunder, shall be punishable under section 7 of the Act.

[No.6-2/2015/SD-V]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.